कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/बजट/बी–1/पीईओ/2017–18/22 दिनांकः– 19/12/2017

1. समस्त–उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा।
2. समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषयः–प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन/मानदेय आहरण वितरण बाबत।

प्रसंगः–शासन की स्वीकृति क्रमांक प.15(1)प्राशि/2017 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 07.12.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन/मानदेय एवं अन्य भुगतान के आहरण वितरण तथा सेवा अभिलेख संधारण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है जो 1 जनवरी 2018 में लागू होने है। पत्र में निर्देशित नवीन व्यवस्था को समयबद्व रूप से लागू किये जाने के निमित्त निम्नांकित अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अध्ययन करें एवं निम्नांकित अनुसार लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

1. संदर्भित पत्र के बिन्दु सं. 1.0 में अंकित अनुसार पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन/मानदेय तथा अन्य भुगतान के आहरण वितरण एवं सेवा अभिलेख संधारण के विस्तृत निर्देश बिन्दु संख्या 1.1 से 1.4 में दिये गये है, इन निर्देशों का पूर्ण अध्ययन करें एवं तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।
2. संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1.1 तथा 1.2 में उल्लेखित वर्ग के शिक्षकों/कार्मिकों के सेवा अभिलेखों का संधारण पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में होना है। अतः निर्देश प्रदान किये जाते है कि बी.ई.ई.ओ. कार्यालयों द्वारा दिनांक 25.12.2017 तक आवश्यक रूप से उक्त वर्ग के शिक्षकों/शैक्षिक कार्मिकों का सेवा अभिलेख पूर्ण किया जाकर विधिवत रूप से गत भुगतान पत्र (Last Pay Certificate) सहित पदेन पंचायत प्रा0शि0 अधिकारी कार्यालयों को सुपुर्द किया जावें तथा पे–मैनेजर से आई.डी. स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावें।
3. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2012 की भर्ती में नियुक्त अध्यापकों के वेतन स्थिरीकरण एरियर भुगतान हेतु विभिन्न लेखामदों में बजट आवंटित कर नियमानुसार एरियर भुगतान दिनांक 20.12.2017 तक किये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त बकाया के नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही दिनांक 25.12.2017 से पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण करली जावें। उक्त तिथि के पश्चात बी.ई.ई.ओ. कार्यालयों को उक्त श्रेणी के शिक्षकों/कार्मिकों हेतु आवंटित बजट प्रत्याहरित कर वित्त विभाग से पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकारी घोषित कर दिये जाने के पश्चात् आवंटन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
4. सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1.3 के अनुसार बिन्दु संख्या 1.1 व 1.2 में अंकित वर्ग के कार्मिकों के सेवा अभिलेख संधारण आदि का कार्य पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में नियुक्त स्टॉफ द्वारा ही किया जाना है। निर्देश जारी किये जाते है कि पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवीन व्यवस्था को लागू करने बाबत प्रारंभिक तैयारी पूर्ण रखे एवं सेवा अभिलेख, गत भुगतान पत्र (Last Pay Certificate) आदि अन्य संबंधित दस्तावेज प्राप्त होते ही संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1.1 के अन्तर्गत वेतन के

www.rajteachers.com

आहरण वितरण एवं बिन्दु 1.2 अन्तर्गत बिलों के ऑन लाईन फारवर्ड किये जाने आदि कार्यवाही तत्काल करेंगे ताकि नवीन व्यवस्था दिनांक 01.01.2018 से लागू कर समयबद्ध वेतन भुगतान सम्भव हो सकें।

5. बिन्दु संख्या 1.2 अन्तर्गत निर्दिष्ट भुगतान हेतु पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय दोनो की भागीदारी है। अतः निर्देश दिये जाते है कि दोनो कार्यालयों में उक्त कार्य से संबंधित कार्यालय स्टाफ कार्यवाही के ऑनलाईन संचालन की पूर्ण तकनीकी जानकारी दिनांक 25.12.2017 तक अर्जित करना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित पीईईओ ग्राम पंचायत के अधीन लेखामद अनुसार कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन के लिए उपलब्ध बजट की स्थिति आई.एफ.एम.एस. अन्तर्गत देख कर बजट अपर्याप्त/उपलब्ध नहीं होने पर budgetele.edu@gmail.com मेल पर मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे।
7. संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1.4 एवं 2.0 में उल्लेखित कार्मिकों के संबंध में वेतन आदि की व्यवस्था यथावत रहनी है, तत्संबंधी निर्देशों की पालना की जावें।

संबंधित उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अपने प्रबोधन में संदमित पत्र में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएगें। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 0151–2226556 अथवा 0151–2226564 पर सम्पर्क करें।

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इस पत्र मय शासन के संलग्न पत्र को सम्बनधित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को ईमेल एवं हार्ड कॉपी में तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न–शासन के प्रासंगिक पत्र की प्रति।

(पी.सी.किशन)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. सहायक शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. सहायक निदेशक, शाला दर्शन प्रकोष्ठ बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शाला दर्शन पोर्टल पर पी.ई.ई.ओ. वार लेखामद अनुसार स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की सूचना दिनांक 21.12.2017 से पूर्व समाविष्ट कराने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com